न्यायालय— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—तृतीय, सिवान
उपस्थित— उमेश मणि त्रिपाठी

<u>B.P. No.614/2026</u>

आमगीर मुखिया उर्फ आलमगीर मुखिया उर्फ मो0 आलमगीर बनाम बिहार सरकार
[बड़हरिया थाना कांड संख्या— 421/2024]

<u>आदेश</u>

<u>25.06.2026</u> आवेदक/अभियुक्त **आमगीर मुखिया उर्फ आलमगीर मुखिया उर्फ मो0 आलमगीर पे0 मरूफ मियां** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या—614/2026, बड़हरिया थाना कांड संख्या—421/2024, अंतर्गत धारा—103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम में आवेदक की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान के यहां आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई हेतु चल रहा है इसलिए आवेदक उपरोक्त जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को वापस लेने का प्रार्थना किया गया। उक्त आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त कराई गई है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन का विरोध नहीं किया गया।

उभयपक्ष को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान के यहां आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई हेतु चलने के कारण जमानत आवेदन को आवेदक वापस लेना चाहते हैं जिस पर अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि यदि आवेदक अपना जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं तो उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन वापस लिए जाने के आधार पर **<u>खारिज</u>** किया जाता है।

लेखापित

ह0/—

(उमेश मणि त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सीवान।

दिनांक 25.06.2026

Date of Order/Judgment	25.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	25.06.2026
Uploading Date	02.07.2026
Uploaded By	RAVI KANT

न्यायालय— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—तृतीय, सिवान
उपस्थित— उमेश मणि त्रिपाठी

B.P. No.614/2026

आमगीर मुखिया उर्फ आलमगीर मुखिया उर्फ मो0 आलमगीर बनाम बिहार सरकार
[बड़हरिया थाना कांड संख्या— 421／2024]